रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 134] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 22, 2019/वैशाख 2, 1941
No. 134] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 22, 2019/VAISAKHA 2, 1941

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 22 अप्रैल, 2019

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
(अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2019

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/10.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 तथा 12 के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्, -

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2019 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 में, -

   I. विनियम 14 में, उप-विनियम (4) में, खंड (ग) में, शब्द “से न्यूनतम अभिदान दस लाख रुपये होगा”, शब्दों और चिह्नों “की ओर से न्यूनतम अभिदान (सब्सक्रिप्शन) एक लाख रुपये का होगा” से प्रतिस्थापित हो जाएँगे।

   II. विनियम 16 में, उप-विनियम (9) में, खंड (ख) में, शब्द “पाँच लाख रुपये का होगा”, अंक और शब्दों “100 यूनिटों का होगा” से प्रतिस्थापित हो जाएँगे।

   III. विनियम 17 में, -

      क. उप-विनियम (1) में, -

         i. खंड (ङ) में, शब्द “प्रायोजक या न्यासी ऐसी असूचीबद्धता के लिए अनुरोध करता हो”, शब्दों और चिह्नों “न्यासी (ट्रस्टी) तथा निवेश प्रबंधक (इन्वेस्टमेंट मैनेजर) ऐसी असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के लिए अनुरोध करते हों” से प्रतिस्थापित हो जाएँगे।

ii. मौजूदा खंड (ङ) के पश्चात् और खंड (च) से पूर्व, निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"(ङक) निजी स्थानन वाले (प्राइवेटली प्लेस्ड) और सूचीबद्ध (लिस्टिड) अवसंरचना निवेश न्यास (इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) का न्यासी (ट्रस्टी) तथा निवेश प्रबंधक (इन्वेस्टमेंट मैनेजर) अवसंरचना निवेश न्यास को बदलकर निजी स्थानन वाले असूचीगत (अनलिस्टिड) अवसंरचना निवेश न्यास बनाना चाहते हों और ऐसे अनुरोध को विनियम 22 के अनुसार यूनिटधारकों द्वारा मंजूरी प्रदान की गई (अनुमोदित किया गया) हो:

परंतु यह कि विसम्मति प्रकट करने वाले (डिस्सेंटिंग) यूनिटधारकों को निकास (एग्ज़िट) प्रदान किया जाएगा।"

ख. उप-विनियम (6) में, निम्नलिखित सर्वोपरि खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"उपरोक्त के होते हुए भी, यदि असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) उप-विनियम (1) के खंड (ङक) के अनुसार की जाती है, तो अवसंरचना निवेश न्यास अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को अपने पास रख सकेगा और निजी स्थानन वाले तथा असूचीगत अवसंरचना निवेश न्यास का क्रियाकलाप करना जारी रख सकेगा, जैसा कि अध्याय-VIक में उल्लेख है।"

IV. विनियम 20 में, -

क. उप-विनियम (2) में, शब्द "उनचास प्रतिशत से कभी", शब्दों "सत्तर प्रतिशत से" से प्रतिस्थापित हो जाएँगे।

ख. उप-विनियम (3) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

"(3) यदि अवसंरचना निवेश न्यास, नियंत्री कंपनी (होल्डिंग कंपनी / धारिता कंपनी) और विशेष प्रयोजन माध्यम (माध्यमों) के कुल समेकित लिए गए उधार और आस्थगित भुगतान (डेफर्ड पेमेंट), नकद और नकदी समतुल्यों को घटाकर, अवसंरचना निवेश न्यास संबंधी आस्तियों के मूल्य के पच्चीस प्रतिशत से अधिक होते हों, तो आगे, -

(क) उनचास प्रतिशत तक कोई उधार लेने के लिए, अवसंरचना निवेश न्यास–

(i) बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करेगा; और

(ii) यूनिटधारकों की मंजूरी (का अनुमोदन) उसी प्रकार लेगा, जैसा विनियम 22 में उल्लेख किया गया है।

(ख) उनचास प्रतिशत से अधिक कोई उधार लेने के लिए, अवसंरचना निवेश न्यास –

(i) अपने समेकित उधार और प्रस्तावित उधार हेतु, बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) एजेंसी से "एएए" या उसके समतुल्य की क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करेगा;

(ii) निधियों (फंड्स) का उपयोग केवल अवसंरचना परियोजनाओं (इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स) के अर्जन या विकास के लिए ही करेगा;

(iii) का, विनियम 18 के उप-विनियम (6) के अनुसार, सतत आधार पर, सूचीबद्धता (लिस्टिंग) के पश्चात्, उस वित्तीय वर्ष से पहले के वर्षों में कम से कम छह वितरणों (डिस्ट्रीब्यूशन्स) का पिछला रिकॉर्ड (ट्रैक रिकॉर्ड) हो, जिस वित्तीय वर्ष में और उधार लिए जाने का प्रस्ताव हो;

(iv) यूनिटधारकों की मंजूरी (का अनुमोदन) उसी प्रकार प्राप्त करेगा, जैसा विनियम 22 के उप-विनिमय (5क) में उल्लेख किया गया है।"

V. विनियम 21 में, उप-विनियम (5) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"परंतु यह कि यदि, विनियम 20 के अनुसार, अवसंरचना निवेश न्यास के समेकित उधार और आस्थगित भुगतान (डेफर्ड पेमेंट) उनचास प्रतिशत से अधिक हों, तो ऐसे अवसंरचना निवेश न्यास की आस्तियों (असेट्स)

का मूल्यांकन मूल्यांकक (वैल्यूअर) द्वारा जून, सितम्बर और दिसम्बर को समाप्त होने वाली तिमाही हेतु किया जाएगा, ताकि पिछली तिमाही में हुए किन्हीं महत्त्वपूर्ण बदलावों (मूल परिवर्तनों) को शामिल किया जा सके, और ऐसी तिमाही रिपोर्ट ऐसी तिमाही की समाप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर तैयार की जाएगी ।"

VI. विनियम 22 में, -

क. उप-विनियम (4) में, मौजूदा खंड (ग) निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

"(ग) विनियम 20 के उप-विनियम (3) के खंड (क) के तहत निर्धारित (विनिर्दिष्ट) सीमा के अनुसार लिए गए किसी उधार के मामले में;"

ख. उप-विनियम (5) में, खंड (ग) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

"(ग) विनियम 17 के उप-विनियम (1) के खंड (ङ) के तहत, न्यासी (ट्रस्टी) तथा निवेश प्रबंधक (इन्वेस्टमेंट मैनेजर) द्वारा अवसंरचना निवेश न्यास की यूनिटों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) चाहने का प्रस्ताव किए जाने के मामले में;"

ग. मौजूदा उप-विनियम (5) के पश्चात् तथा मौजूदा उप-विनियम (6) से पूर्व, निम्नलिखित नए उप-विनियम अंतःस्थापित किए जाएँगे, अर्थात्, -

"(5क) विनियम 20 के उप-विनियम (3) के खंड (ख) में निर्धारित सीमा के अनुसार अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा लिए जाने वाले किसी उधार के मामले में, मूल्य के अनुसार पचहत्तर प्रतिशत यूनिटधारकों की मंजूरी लेनी होगी (का अनुमोदन लेना होगा) ।

(5ख) विनियम 17 के उप-विनियम (1) के खंड (ङक) के अनुसार अवसंरचना निवेश न्यास की यूनिटों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के लिए, मूल्य के अनुसार कम से कम नब्बे प्रतिशत यूनिटधारकों की मंजूरी लेनी जरूरी होगी (का अनुमोदन लेना जरूरी होगा) और विसम्मति प्रकट करने वाले यूनिटधारकों को निकास (एग्ज़िट) प्रदान किया जाएगा ।"

VII. विनियम 23 में, -

क. उप-विनियम (4) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

"(4) निवेश प्रबंधक (इन्वेस्टमेंट मैनेजर) नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज को, 30 सितम्बर को समाप्त होने वाली छमाही की समाप्ति से पैंतालीस दिनों के भीतर, छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा:

परंतु यह कि जिस अवसंरचना निवेश न्यास की यूनिटें सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों तथा विनियम 20 के अनुसार जिसके समेकित उधार और आस्थगित भुगतान (डेफर्ड पेमेंट) उनचास प्रतिशत से अधिक हों, ऐसा अवसंरचना निवेश न्यास भी नामनिर्दिष्ट (डेजिग्नेटेड) स्टॉक एक्सचेंज को, जून तथा दिसम्बर को समाप्त होने वाली प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से तीस दिनों के भीतर, तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।"

ख. मौजूदा उप-विनियम (5) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

"(5) वार्षिक / छमाही / तिमाही रिपोर्टों में वे प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) शामिल होंगे, जिनका उल्लेख अनुसूची-IV के क्रमशः भाग-क, भाग-ख तथा भाग-ग के तहत किया गया है ।"

VIII. अध्याय-VI के पश्चात्, निम्नलिखित नया अध्याय-VIक अंतःस्थापित किया जाएगा –

"अध्याय-VIक

जो अवसंरचना निवेश न्यास सूचीबद्ध (लिस्टिड) न हों, उनकी यूनिटों के निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) हेतु ढाँचा

26क. लागू होना

(1) इस अध्याय के प्रावधान उस अवसंरचना निवेश न्यास पर लागू होंगे, जो इन विनियमों के अनुसार निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) आधार पर यूनिटें जारी (निर्गमित) करने का प्रस्ताव करता हो या जिसने इन विनियमों के अनुसार निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) आधार पर यूनिटें जारी (निर्गमित) की हों ।

(2) इस प्रकार जारी की गई (निर्गमित) या जारी (निर्गमित) किए जाने हेतु प्रस्तावित यूनिटें मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध (लिस्ट) कराए जाने के लिए पात्र नहीं होंगी ।

(3) जिस अवसंरचना निवेश न्यास की यूनिटें निजी स्थानन आधार पर जारी (निर्गमित) की गई हों और सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों या सूचीबद्ध (लिस्ट) कराए जाने हेतु प्रस्तावित हों, उस अवसंरचना निवेश न्यास पर लागू इन विनियमों के सभी प्रावधान, निम्नलिखित को छोड़कर उस अवसंरचना निवेश न्यास पर लागू होंगे जो इस अध्याय के प्रावधानों के तहत यूनिटें जारी (निर्गमित) कर रहा हो / जिसने इस अध्याय के प्रावधानों के तहत यूनिटें जारी (निर्गमित) की हों –

(क) विनियम 10 का उप-विनियम (4), (9), (10) एवं (22);

(ख) विनियम 14 का उप-विनियम (1क) एवं (2);

(ग) विनियम 16;

(घ) विनियम 17;

(ङ) विनियम 20;

(च) विनियम 21 का उप-विनियम (6);

(छ) विनियम 22 के उप-विनियम (5) के खंड (च) का उप-खंड (iv);

(ज) विनियम 23;

(झ) निवेश प्रबंधक (इन्वेस्टमेंट मैनेजर) में किसी बदलाव हेतु बोर्ड की पूर्व-मंजूरी (का पूर्व-अनुमोदन) प्राप्त करने से संबंधित विनियम 9 का उप-विनियम (15);

(ञ) निवेश प्रबंधक (इन्वेस्टमेंट मैनेजर) के नियंत्रण (कंट्रोल) में परिवर्तन होने की दशा में बोर्ड की पूर्व-मंजूरी (का पूर्व-अनुमोदन) प्राप्त करने से संबंधित विनियम 9 का उप-विनियम (17) ।

26ख. निधियाँ (फंड्स) जुटाना और निवेश

(1) इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) के माध्यम से निधियाँ (फंड) जुटाने वाला अवसंरचना निवेश न्यास –

(क) ऐसा स्थानन ज्ञापन (प्लेसमेंट मेमोरैंडम) के माध्यम से करेगा;

(ख) निधियाँ (फंड्स) केवल संस्थागत निवेशकों (इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स) और निगमित निकायों (बॉडी कारपोरेट्स), फिर चाहे वे भारतीय हों या विदेशी, से ही जुटाएगा:

परंतु यह कि विदेशी निवेशकों के मामले में, ऐसा निवेश उन दिशानिर्देशों (मार्गदर्शक सिद्धाँतों / गाइडलाइन्स) के अध्यधीन होगा, जो भारतीय रिज़र्व बैंक और सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाएँ;

(ग) किसी निवेशक से एक करोड़ रुपये से कम के मूल्य का निवेश स्वीकार नहीं करेगा;

(घ) बीस से अधिक निवेशकों से निधियाँ (फंड्स) नहीं जुटाएगा;

(ङ) बोर्ड के पास, स्थानन ज्ञापन (प्लेसमेंट मेमोरैंडम), निर्गम के खुलने से कम से कम 5 दिन पहले, अनुसूची-II में यथा निर्धारित फीस के साथ, दाखिल करेगा;

(च) बोर्ड के पास अंतिम स्थानन ज्ञापन (प्लेसमेंट मेमोरैंडम), निवेशकों को यूनिटों का आबंटन किए जाने की तारीख से दस कार्य-दिवसों की अवधि के भीतर, दाखिल करेगा;

(छ) अवसंरचना निवेश न्यास संबंधी आस्तियों के मूल्य के कम से कम अस्सी प्रतिशत का निवेश, या तो सीधे या फिर नियंत्री कंपनी (धारिता कंपनी / होल्डिंग कंपनी) के जरिए या विशेष प्रयोजन माध्यमों (स्पेशल पर्पज़ व्हीकल्स) के जरिए, पात्र अवसंरचना परियोजनाओं (इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट) में करेगा:

परंतु यह कि जिन निधियों (फंड्स) का निवेश न किया गया हो उनका निवेश लिखतों (इन्स्ट्रूमेंट्स) में किया जा सकेगा, जैसा विनियम 18 के उप-विनियम (5) के खंड (ख) के उप-खंड (ii), (iii), (iv) एवं (v) के तहत उल्लेख किया गया है ।

(2) अवसंरचना निवेश न्यास, उतने निवेशकों से मंजूरी (अनुमोदन) लेने के बाद जितने निवेशकों का उल्लेख न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) में किया गया हो, उतना उधार ले सकेगा जितना न्यास विलेख के तहत अनुमत हो ।

26ग. प्रकटीकरण

(1) इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार यूनिटें जारी (निर्गमित / इश्यू) करने वाला अवसंरचना निवेश न्यास यह सुनिश्चित करेगा कि स्थानन ज्ञापन (प्लेसमेंट मेमोरैंडम) में किए जाने वाले प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र्स) विनियम 15 के उप-विनियम (4) और बोर्ड द्वारा इस संबंध में जारी किए गए किसी परिपत्र (सर्कुलर) या दिशानिर्देश (मार्गदर्शक सिद्धांत / गाइडलाइन) के अनुसार हों ।

(2) अवसंरचना निवेश न्यास का निवेश प्रबंधक अवसंरचना निवेश न्यास के न्यासी (ट्रस्टी) और यूनिटधारकों को वार्षिक रिपोर्ट, छमाही रिपोर्ट और मूल्यांकन रिपोर्ट, या तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में या कागजी रूप में, प्रस्तुत करेगा ।

(3) वार्षिक और छमाही रिपोर्टों में अनुसूची- IV के तहत यथा निर्धारित प्रकटीकरण शामिल होंगे (जो भी लागू हों) ।

(4) निवेश प्रबंधक न्यासी और यूनिटधारकों को अवसंरचना निवेश न्यास के कामकाज (प्रचालन) या कार्य-निष्पादन से संबंधित कोई जानकारी प्रकट करेगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल है किंतु जो निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं है –

(क) किन्हीं परियोजनाओं का, सीधे या नियंत्री कंपनी (होल्डिंग कंपनी / धारिता कंपनी) या विशेष प्रयोजन माध्यम (स्पेशल पर्पस व्हीकल) के जरिए, अर्जन (एक्विज़ीशन) या बिक्री आदि (व्ययन / डिस्पोज़ल), जिनका मूल्य अवसंरचना निवेश न्यास संबंधी आस्तियों (असेट्स) के मूल्य के पाँच प्रतिशत से अधिक हो;

(ख) अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा यूनिटों का अतिरिक्त निर्गम (इश्यू);

(ग) अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा ली गई किसी क्रेडिट रेटिंग के और ऐसी रेटिंग में किसी परिवर्तन के ब्यौरे;

(घ) कोई मुद्दा जिसके संबंध में यूनिटधारकों की मंजूरी (का अनुमोदन) जरूरी हो;

(ङ) कोई कानूनी कार्यवाही, जिसका अवसंरचना निवेश न्यास की कार्यप्रणाली पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता हो;

(च) यूनिटधारकों की बैठकों की सूचनाएँ (नोटिस) और उनके परिणाम;

(छ) इन विनियमों का पालन न किए जाने का कोई मामला, जिसमें विनियमों के तहत निर्धारित की गई सीमाओं का कोई उल्लंघन (भंग) शामिल है;

(ज) कोई महत्त्वपूर्ण मुद्दा, जिसे निवेश प्रबंधक या न्यासी की राय में यूनिटधारकों को प्रकट करना जरूरी हो ।

26घ. सामान्य

(1) निवेश प्रबंधक यूनिटों को जारी करने (निर्गमित करने) से संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें बोर्ड के पास स्थानन ज्ञापन (प्लेसमेंट मेमोरैंडम) दाखिल करना और यूनिटधारकों को यूनिटों के आबंटन (अलॉटमेंट) से संबंधित सभी मामलों के संबंध में कार्यवाही करना शामिल है ।

(2) निवेश प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि स्थानन ज्ञापन (प्लेसमेंट मेमोरैंडम) में किए जाने वाले प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) महत्त्वपूर्ण, सत्य, सही और पर्याप्त प्रकटीकरण हों और जो इन विनियमों तथा बोर्ड द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों (मार्गदर्शक सिद्धाँतों / गाइडलाइन्स) या परिपत्रों (सर्कुलर्स) के अनुसार हों ।

(3) निवेश प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा किए गए निवेश इस अध्याय में यथा निर्धारित निवेश संबंधी शर्तों के अनुसार हों और अवसंरचना निवेश न्यास की निवेश युक्ति (इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी) के अनुसार हों ।

(4) निवेश प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि अवसंरचना निवेश न्यास के लेखों (अकाउंट्स) की लेखापरीक्षा (ऑडिट) वर्ष में कम से कम एक बार की जाती हो और ऐसी रिपोर्ट न्यासी (ट्रस्टी) तथा यूनिटधारकों को, या तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में या कागजी रूप में, प्रस्तुत की जाती हो ।

26ङ प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण

(1) जिस अवसंरचना निवेश न्यास ने इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार यूनिटें जारी (निर्गमित / इश्यू) की हों, वह बोर्ड को अपना रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभ्यर्पित कर सकेगा, और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण स्वीकार हो जाने पर वह उसके बाद से अवसंरचना निवेश न्यास का क्रियाकलाप नहीं करेगा।

(2) अवसंरचना निवेश न्यास और अवसंरचना निवेश न्यास के पक्षकार, अवसंरचना निवेश न्यास के क्रियाकलापों की बाबत कुछ करने और न करने के प्रति दायी रहेंगे, फिर भले ही बोर्ड को रजिस्ट्रीकरण का अभ्यर्पण (सरंडर) किया जा चुका हो।

26च. यूनिटों की सूचीबद्धता (लिस्टिंग)

जिस अवसंरचना निवेश न्यास ने इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार यूनिटें जारी (निर्गमित / इश्यू) की हों, वह ऐसी यूनिटें मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्ट) करा सकेगा, बशर्ते कि वह इन विनियमों के तहत निजी स्थानन वाले (प्राइवेटली प्लेस्ड) तथा सूचीबद्ध अवसंरचना निवेश न्यास हेतु निर्धारित की गई अपेक्षाओं का पालन बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित तरीके से करे।"

IX. अनुसूची - IV में,-

क. शीर्षक "वार्षिक रिपोर्ट में अनिवार्य प्रकटीकरण" से पूर्व, शब्द, चिह्न तथा अक्षर "भाग-क" अंतःस्थापित किए जाएंगे।

ख. शीर्षक "छमाही रिपोर्ट में अनिवार्य प्रकटीकरण" से पूर्व, शब्द, चिह्न तथा अक्षर "भाग-ख" अंतःस्थापित किए जाएंगे।

ग. इस प्रकार संख्यांकित किए गए भाग-ख के पश्चात्, निम्नलिखित नया भाग-ग अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"**<u>भाग-ग</u> <u>तिमाही रिपोर्ट में अनिवार्य प्रकटीकरण</u>**

[निजी स्थानन वाला (प्राइवेटली प्लेस्ड) अवसंरचना निवेश न्यास केवल उन्हीं मदों को प्रकट कर सकेगा, जो उसकी संरचना (स्ट्रक्चर) और उसके क्रियाकलापों पर लागू हों]

1. तिमाही हेतु वित्तीय विवरण; (एकल एवं समेकित)
2. पिछली तिमाही के दौरान किन्हीं महत्त्वपूर्ण उद्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकक (वैल्यूअर) द्वारा अद्यतन मूल्यांकन रिपोर्ट
3. तिमाही के दौरान कोई अन्य महत्त्वपूर्ण घटनाएँ"

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./19/19]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014, सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2014-15/10/1577 द्वारा, 26 सितम्बर, 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014, तत्पश्चात्-

   क. 30 नवम्बर, 2016 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/021, द्वारा

   ख. 15 दिसम्बर, 2017 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/024, द्वारा

   ग. 10 अप्रैल, 2018 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2018 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/07, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 22nd April, 2019

Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2019

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/10.—In exercise of the powers conferred by section 30 read with sections 11 and 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014, namely,-

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2019.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014, -

I. in regulation 14, in sub-regulation (4), in clause (c), the word "ten" shall be substituted with the word "one".

II. in regulation 16, in sub-regulation (9), in clause (b), the words "be five lakh rupees" shall be substituted with the words and figure "consist of 100 units".

III. in regulation 17, -

a. in sub-regulation (1), -

i. in clause (e), -

(i) the words "sponsor(s) or" shall be omitted.

(ii) the words "and investment manager" shall be inserted after the word "trustee' and before the word "requests".

ii. after the existing clause (e) and before clause (f), the following new clause shall be inserted, namely, -

"(ea) the trustee and the Investment Manager of a privately placed and listed InvIT chooses to convert InvIT to a privately placed unlisted InvIT and such request has been approved by unit holders in accordance with regulation 22:

Provided that exit shall be provided to dissenting unitholders."

b. in sub-regulation (6), the following non-obstante clause shall be inserted, namely,-

"Notwithstanding the above, in case the delisting is done in terms of clause (ea) of sub-regulation (1),the InvIT may retain its certificate of registration and continue to undertake the activity of a privately placed and unlisted InvIT as specified in Chapter VIA."

IV. in regulation 20, -

a. in sub-regulation (2), -

i. the word "never" shall be substituted with the word "not".

ii. the words "forty nine" shall be substituted with the word "seventy".

b. in sub-regulation (3), the existing clauses (a) and (b) shall be substituted with the following clauses, namely, -

"a) upto forty nine percent, an InvIT shall -

(i) obtain credit rating from a credit rating agency registered with the Board; and

(ii) seek approval of unitholders in the manner as specified in Regulation 22.

b) above forty nine percent, an InvIT shall -

(i) obtain a credit rating of "AAA" or equivalent for its consolidated borrowing and the proposed borrowing, from a credit rating agency registered with the Board;

(ii) utilize the funds only for acquisition or development of infrastructure projects;

(iii) have a track record of atleast six distributions, in terms of sub-regulation (6) of regulation 18, on a continuous basis, post listing, in the years preceding the financial year in which the enhanced borrowings are proposed to be made;

(iv) obtain the approval of unitholders in the manner specified in sub-regulation (5A) of regulation 22."

V. in regulation 21, in sub-regulation (5), the following proviso shall be inserted, namely, -

"Provided that in case the consolidated borrowings and deferred payments of an InvIT, in terms of Regulation 20, is above forty nine per cent, the valuation of the assets of such InvIT shall be conducted by the valuer for quarter ending June, September and December, for incorporating any key changes in the previous quarter and such quarterly report shall be prepared within one month from the date of the end of such quarter."

VI. in regulation 22, -

a. in sub-regulation (4), the existing clause (c) shall be substituting with the following clause, namely, -

"(c) any borrowing in terms of the limit specified under clause (a) of sub-regulation (3) of regulation 20;"

b. in sub-regulation (5), in clause (c), -

i. the words "sponsor(s) or" shall be omitted.

ii. the words "trustee and" shall be inserted after the word "the" and before the words "investment manager".

iii. after the word "InvIT", the words "under clause (e) of sub-regulation (1) of regulation 17" shall be inserted.

c. after the existing sub-regulation (5) and before the existing sub-regulation (6) , the following new sub-regulations shall be inserted, namely, -

"(5A) In case of any borrowing by an InvIT in terms of the limit specified in clause (b) of sub-regulation 3 of regulation 20, the approval from seventy five per cent. of the unit holders by value shall be obtained.

(5B) For delisting of units of InvIT in terms of clause (ea) of sub-regulation (1) of regulation 17, approval from not less than ninety per cent. of the unit holders by value shall be required and exit shall be provided to dissenting unitholders."

VII. in regulation 23, -

a. in sub-regulation (4) –

i. the words "the every" appearing after the words "the end of" and before the words "half year ending" shall be omitted.

ii. the word and number "March 31^{st} and" shall be omitted.

iii. the following new proviso shall be inserted, namely, -

"Provided that for any InvIT, whose units are listed and whose consolidated borrowings and deferred payments, in terms of regulation 20, is above forty nine per cent., such InvIT shall also submit a quarterly report to the designated stock exchange within thirty days from the end of every quarter ending June and December."

b. the existing sub-regulation (5) shall be substituted with the following, namely, -

"(5) Annual/ half yearly /quarterly reports shall contain disclosures as specified under Part-A, Part-B and Part-C, respectively, of Schedule IV.

VIII. after Chapter VI, the following new Chapter VIA shall be inserted –

“CHAPTER VIA

FRAMEWORK FOR PRIVATE PLACEMENT OF UNITS OF INVITS WHICH ARE NOT LISTED

26A. Applicability

(1) The provisions of this chapter shall apply to an InvIT, which proposes to issue units or has issued units, on a private placement basis in terms of these regulations.

(2) The units so issued or proposed to be issued shall not be eligible to be listed on recognised stock exchanges.

(3) All the provisions of these regulations applicable to an InvIT, whose units are privately placed and listed or proposed to be listed, shall be applicable to an InvIT issuing units/who has issued units under the provisions of this chapter, except for the following -

(a) sub-regulation (4), (9),(10) and (22) of regulation 10;

(b) sub-regulation (1A) and (2) of regulation 14;

(c) regulation 16;

(d) regulation 17;

(e) regulation 20;

(f) sub-regulation (6) of regulation 21;

(g) sub-clause (iv) of clause (f) of sub-regulation (5) of regulation 22;

(h) regulation 23;

(i) sub-regulation (15) of regulation 9 in respect of obtaining prior approval of the Board for any change in the investment manager;

(j) sub-regulation (17) of regulation 9 in respect of obtaining prior approval of the Board in case of change in control of the investment manager.

26B. Raising of funds and investments

(1) An InvIT raising funds by way of a private placement in terms of the provisions of this Chapter–

(a) shall do it through a placement memorandum;

(b) shall raise funds only from institutional investors and body corporates, whether Indian or foreign:

Provided that in case of foreign investors, such investment shall be subject to guidelines as may be specified by the Reserve Bank of India and the Government from time to time;

(c) shall not accept from an investor, an investment of value less than rupees one crore;

(d) shall not raise funds from more than twenty investors;

(e) shall file a placement memorandum with the Board alongwith the fee as specified in Schedule II, atleast 5 days prior to opening of the issue;

(f) shall file the final placement memorandum with the Board within a period of ten working days from the date of allotment of the units to the investors;

(g) invest not less than eighty per cent of the value of the InvIT assets in eligible infrastructure projects either directly or through holdcos or through SPVs:

Provided that un-invested funds may be invested in instruments as provided under sub-clause (ii), (iii), (iv) and (v) of clause (b) of sub-regulation 5 of Regulation 18.

(2) An InvIT may undertake borrowing to the extent permitted under the trust deed, after seeking approval from such number of investors as specified in the trust deed.

26C. Disclosures

(1) An InvIT issuing units as per the provisions of this Chapter shall ensure that the disclosures in the placement memorandum are in accordance with sub-regulation (4) of regulation 15 and any circular or guideline issued by the Board in this regard.

(2) The investment manager of the InvIT shall submit annual report, half-yearly report and valuation report to the trustee and unit holders of the InvIT, either electronically or through physical copies.

(3) The annual and half yearly reports shall contain disclosures as specified under Schedule IV, to the extent applicable.

(4) The investment manager shall disclose to the trustee and unitholders any information having bearing on the operation or performance of the InvIT which includes but is not restricted to the following–

(a) acquisition or disposal of any projects, directly or through holdco or SPV, value of which exceeds five per cent. of value of the InvIT assets;

(b) additional issue of units by the InvIT;

(c) details of any credit rating obtained by the InvIT and any change in such rating;

(d) any issue which requires approval of the unit holders;

(e) any legal proceedings which may have significant bearing on the functioning of the InvIT;

(f) notices and results of meetings of unit holders,

(g) any instance of non-compliance with these regulations including any breach of limits specified under the regulations;

(h) any material issue that in the opinion of the investment manager or trustee needs to be disclosed to the unit holders.

26D. General

(1) The investment manager shall be responsible for all activities pertaining to the issue of units including filing of placement memorandum with the Board and dealing with all matters relating to the allotment of units to the unit holders.

(2) The investment manager shall ensure that disclosures made in the placement memorandum contains material, true, correct and adequate disclosures and are in accordance with these regulations and guidelines or circulars issued by the Board.

(3) The investment manager shall ensure that the investments made by the InvIT are in accordance with the investment conditions as specified in this Chapter and in accordance with the investment strategy of the InvIT.

(4) The investment manager shall ensure that the audit of accounts of the InvIT is done not less than once a year and such report is submitted to the trustee and unitholders, either electronically or through physical copies.

26E. Surrender of certificate

(1) An InvIT which has issued units as per the provisions of this Chapter, may choose to surrender its certificate of registration to the Board and on acceptance of surrender of certificate of registration, it shall no longer undertake the activity of an InvIT.

(2) The InvIT and parties to the InvIT shall continue to be liable for all their acts of omissions and commissions with respect to activities of the InvIT notwithstanding surrender of registration to the Board.

26F. Listing of units

An InvIT which has issued units in terms of the provisions of this Chapter, may list such units on a recognised stock exchange, subject to it complying with the requirements specified for privately placed and listed InvIT under these regulations and in the manner specified by the Board from time to time."

IX. in Schedule IV, -

a. the word, symbol and letter "Part-A" shall be inserted before the title "Mandatory Disclosures in the Annual Report".

b. the word, symbol and letter "Part-B" shall be inserted before the title "Mandatory disclosures in the Half-yearly report".

c. after Part-B so numbered, the following new Part-C shall be inserted, namely, -

"Part -C Mandatory disclosures in the quarterly report

(A privately placed InvIT may only disclose the items, as may be applicable to its structure and activities)

1. Financial statements for the quarter; (Standalone and consolidated)
2. Updated valuation report by the valuer taking into account any material developments during the previous quarter
3. Any other material events during the quarter"

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./19/19]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014 was published in the Gazette of India on September 26, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/10/1577.
2. The Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014 was subsequently amended by the –

   a. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2016, vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/021, with effect from November 30, 2016;

   b. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2017, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/024, with effect from December 15, 2017.

   c. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2018, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/07, with effect from April 10, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.04.23 20:02:00 +05'30'